बच्चों ने बनाया अपनी कक्षा के संविधान का संकल्प प्रस्ताव

केवल आनन्द कांडपाल

सामाजिक विज्ञान में कई अवधारणाएँ जटिल और अमूर्त होती हैं, जैसे– भारत का संविधान। यह लेख इस सवाल का जवाब ढूँढ़ने की कोशिश करता है कि इन अवधारणाओं से बच्चों का परिचय कैसे कराया जाए। लेख में चार दिनों में फैली गतिविधि के सहारे कक्षा 8 के बच्चे ठोस उदाहरण के ज़रिए संविधान और क़ानून जैसी अवधारणाओं को समझते हैं, उसपर बात करते हैं और साझा प्रयासों से कक्षा के लिए एक संकल्प तैयार करने की कोशिश करते हैं। -सं.

सामाजिक अध्ययन में अवधारणाएँ व्यापक और अमूर्त होती हैं। बच्चों के लिए उनका सन्दर्भ व आशय समझना मुश्किल होता है। राष्ट्र का संविधान एक ऐसी ही अवधारणा है। मैंने कक्षा 8 के बच्चों के साथ संविधान की समझ पर कार्य किया। यह लेख उसी अनुभव का नतीजा है। इस कक्षा में 8 बालक और 10 बालिकाएँ थीं। कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक की पहली इकाई 'भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता', का पहला अध्याय हमें पढ़ना था– 'भारतीय संविधान'।

यह अध्याय इस प्रश्न से शुरू होता है कि 'किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है?' शुरुआती पैराग्राफ़ में संविधान की सरल परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार, "संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके ज़रिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए।" इस बात पर बच्चों से चर्चा की गई। संविधान की यथासम्भव सरल व्याख्या होने के बावजूद, अवधारणा की अमूर्तता के कारण बच्चे इस बात को ठीक-ठीक पकड़ने में सफल नहीं हो पा रहे थे।

इस पाठ के एक अन्य अनुच्छेद में पड़ोसी देश नेपाल के दो अलग-अलग संविधानों, यथा– वर्ष 1990 के राजतंत्र के और 2006 के लोकतंत्र

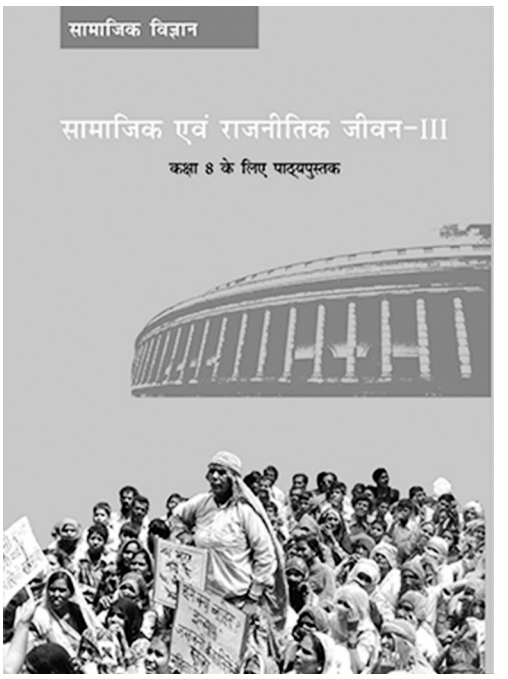

अध्याय 1 भारतीय संविधान

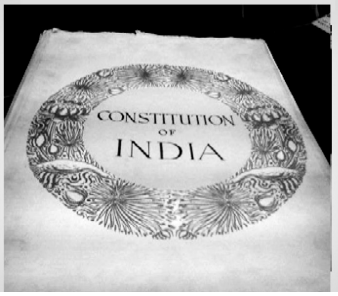

के संविधान, के बारे में चर्चा है। इस घटनाक्रम को बॉक्स में भी दिया गया है। इसपर भी ख़ूब बातचीत हुई, पर बच्चे संविधान की अवधारणा को समझने में कठिनाई महसूस कर रहे थे। कक्षा सम्पन्न हो गई, लेकिन समझ नहीं आया कि संविधान का मूल भाव पकड़ने में बच्चों की मदद कैसे करें। निरन्तर यह उथल-पुथल चल रही थी कि क्या किया जाना चाहिए, और कोई ठीक रास्ता सूझ नहीं रहा था। मैं अच्छी तरह से समझ रहा था कि केवल पुस्तक का पाठ पढ़ देने या पढ़ा देने भर से बच्चे संविधान की अवधारणा और ज़रूरत नहीं समझ पाएँगे। बहुत देर तक सोच-विचार करने के बाद तय किया कि इसके लिए बच्चों को मूर्त अनुभव देने होंगे, पर यह स्पष्ट नहीं था कि यह होगा कैसे? ईमानदारी से कहूँ तो इस बारे में मेरे दिमाग़ में कोई रूपरेखा भी नहीं थी, लेकिन इस बात का विश्वास था कि बच्चों से लगातार बातचीत एवं चर्चा से कोई रास्ता निकलेगा ज़रूर।

अगले दिन दूसरे अनुच्छेद पर चर्चा शुरू की। यह संविधान के दूसरे मुख्य उद्देश्य 'देश की राजनीतिक व्यवस्था तय करना' पर है। इसके ठीक अगले पैराग्राफ़ में लोकतंत्र को समझाने की कोशिश की गई है, जिसका मन्तव्य सम्भवतः इस बात को स्थापित करना है कि लोकतांत्रिक समाज में निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने के लिए संविधान बहुत ज़रूरी है। इसके बाद पाठ में दिए गए चित्रकथा-पट्ट में कक्षा मॉनीटर द्वारा अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए किसी निर्दोष बालक को अध्यापिका द्वारा दण्ड दिलवाने का विवरण है। इसको पढ़ने में बच्चों ने बहुत रुचि दिखाई। एक बच्ची ने कहा, "कभी-कभी हमारी कक्षा का मॉनीटर भी तो यही करता है। जो बच्चा चुपचाप बैठा है उसकी शिकायत गुरुजी से कर देता है, और अपने दोस्तों की कोई शिकायत नहीं करता चाहे वो कितना भी शोरगुल क्यों न करें।" बच्ची की बात को आगे बढ़ाते हुए उचित दिशा में ले जाना ज़रूरी था। अतः बच्ची से पूछा, "ऐसा क्यों होता है?" बच्ची ने तो इसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक बच्चा बोला, "अध्यापक को केवल मॉनीटर की ही बात नहीं सुननी चाहिए। जिस बच्चे की शिकायत की जा रही है, उसकी बात भी तो सुननी चाहिए।" मैंने कहा, "बात तो आपकी एकदम ठीक है परन्तु यह होगा कैसे?" बच्चों की आपसी चर्चा के लगभग 10 मिनट बाद एक अन्य बच्चा बोला, "सर, हमें इसके लिए नियम बनाने होंगे।" चर्चा सही दिशा में जा रही थी। मैंने पूरी कक्षा को सम्बोधित करते हुए पूछा, "नियम बनाने क्यों ज़रूरी हैं, नियम बनाने से क्या बदलाव आएगा?" एक बच्ची बोली, "मॉनीटर यदि ठीक ढंग से काम नहीं करता है, तो उसे हटाने का नियम होना चाहिए।" एक अन्य बच्चे ने कहा, "कब हटाया जाना है, कैसे हटाया जाना है, यह तय होना चाहिए।" एक अन्य बच्ची बोली, "ऐसे तो हमें बहुत-से नियम बनाने होंगे। एक यही बात थोड़ी होती है। और भी बहुत-सी बातें होती हैं।" अगले दिन बातचीत यहीं से आगे बढ़ाने की बात तय हुई। बच्चों को इस बारे में अपने दोस्तों से और अपने घर पर भी चर्चा करने के लिए कहा गया।

अगले दिन कक्षा-कक्ष में कुछ अधिक गहमा-गहमी दिखी। ऐसा लगा, मानो बच्चों के पास कहने के लिए बहुत कुछ है। बातचीत आगे बढ़ी तो बच्चों ने बताया कि वे कहाँ-कहाँ ग़लतियाँ करते हैं, कब-कब बच जाते हैं, और यह भी कि ऐसा क्यों होता है? मुझे लगा कि इसकी तह तक पहुँचने की ज़रूरत है, तभी नियमों के बनाने और उनको लिखने की ज़रूरत स्थापित हो पाएगी। मैंने बच्चों को पुनः पिछले दिन के उसी बिन्दु की याद दिलाते हुए आगे की बातचीत के लिए आमंत्रित किया। मैंने सवाल रखा, "आप अपने लिए किस तरह की कक्षा चाहते हैं?" बच्चों के बहुत-से जवाब आए। मसलन,

- नियमों का ठीक तरह से पालन हो;
- हमें पढ़ने में मज़ा आए;
- सबको अपनी बात कहने की आज़ादी हो;
- सभी को सीखने के बराबर मौक़े मिलें;
- कक्षा में कोई किसी का मज़ाक़ न उड़ाए;
- हमारी कक्षा विद्यालय की सबसे अच्छी कक्षा के रूप में जानी जाए;
- जिसको जो विषय अच्छा लगे, उसे पढ़ने के मौक़े मिलें;
- कक्षा में हम एक-दूसरे की मदद करें;
- कोई नियम का पालन नहीं कर रहा है तो उसको नियम पालन के लिए मजबूर कर सकें; आदि।

हस्तक्षेप करने का यह उपयुक्त अवसर था। मैंने पूछा, "इस तरह की कक्षा हो जाए, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए?" एक बच्ची बोली, "जिस तरह की कक्षा होनी चाहिए, हम उसकी बात कर रहे हैं। पहले वे बातें तो तय कर लें, नियम तो बाद में बनाते रहेंगे।" मुझे लगा कि यह बात संविधान की मूल अवधारणा के बिलकुल क़रीब पहुँच रही है। अतः इस उपयुक्त अवसर को एकदम लपकते हुए मैंने सभी बच्चों के सामने एक चुनौती रखी, "जिस तरह की कक्षा हम चाहते हैं, क्या आप उसके महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं की सूची बना सकते हैं? और इन बिन्दुओं पर कक्षा के सभी बच्चों की सहमति होनी चाहिए।" लगभग सभी बच्चे एक स्वर में बोले, "हाँ, हम कर सकते हैं।" इतने में एक बच्चे ने अचानक पूछा, "तो क्या यह हमारी कक्षा का संविधान होगा?" यह कहना मुश्किल है कि वह संविधान की अवधारणा समझने के क़रीब था या नहीं, परन्तु उसका यह कथन महत्त्वपूर्ण प्रगति दिखा रहा था। मैंने कक्षा को कहा, "यह आपकी कक्षा का संविधान नहीं है, वरन् इसका सबसे महत्त्वपूर्ण भाग है। इसके आधार पर ही आप अपनी कक्षा के लिए नियम बनाएँगे। इसे कक्षा के संविधान की प्रस्तावना / संकल्प कह सकते हैं। इसपर हम कल

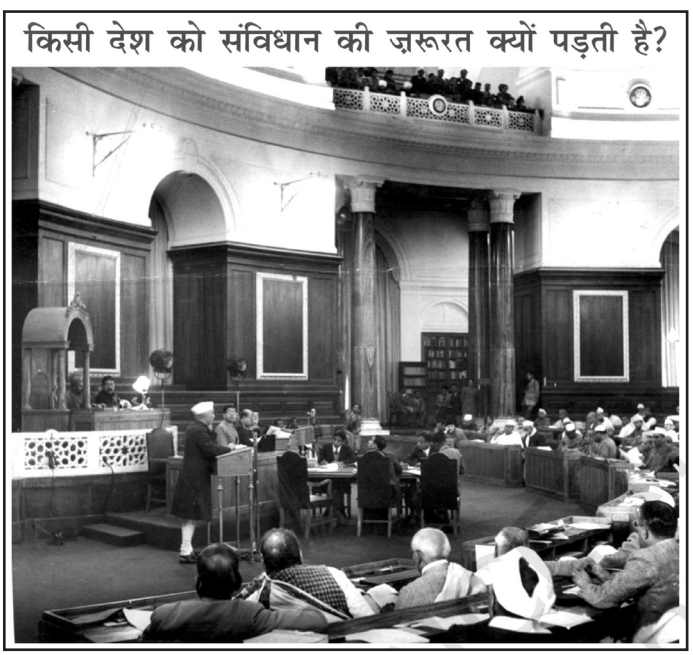

चर्चा करेंगे। मैंने बच्चों से अपनी पाठ्यपुस्तक के आमुख व प्राक्कथन को पढ़कर आने को कहा। आज के अनुभव से मैंने महसूस किया कि कल की कक्षा के लिए शिक्षण लक्ष्य निर्धारित करने में दो काम ज़रूर होने हैं। पहला, कक्षा के संविधान की प्रस्तावना या संकल्प तैयार करना; और दूसरा, इस प्रस्तावना या संकल्प की अहमियत और इसके अनुरूप नियम बनाने की प्रक्रिया पर चर्चा करना।

मेरी अगले दिन की शिक्षण योजना बहुत हद तक स्पष्ट थी। आज बच्चे दो समूहों में चर्चा करके प्रस्तुतिकरण करने वाले थे कि उनके मस्तिष्क में अपनी कक्षा की किस तरह की कल्पना है। इससे पहले, यह स्पष्टता ज़रूरी थी कि वे अपने संकल्प / प्रस्ताव को किस रूप में तैयार करेंगे। मैं स्वयं एक चार्ट पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना यह मानकर लिख लाया था कि आज इसकी ज़रूरत होगी। कक्षा आरम्भ होते ही बच्चों से बातचीत शुरू हो गई। यही सही मौक़ा था कि मैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पहले से ही तैयार चार्ट बच्चों के बीच रख दूँ। इस चार्ट को पढ़ने के बाद बच्चों में उत्सुकता के साथ असमंजस साफ़ नज़र आ रहा था। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन ख़ास बातों का ज़िक्र है, जिस प्रकार के समाज की परिकल्पना हमारा संविधान करता है। यह अन्दाज़ा देता है कि हमारे संविधान द्वारा परिकल्पित समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें किन बातों पर ध्यान देना होगा, किस दिशा में आगे बढ़ना होगा, और इसके लिए हमारी शासन प्रणाली का स्वरूप क्या होगा। कुल मिलाकर, यह संविधान के निचोड़ को सामने रखता है। मैंने बच्चों से पूछा, "क्या वे इस तरह का संकल्प अपनी कक्षा के लिए तैयार कर सकते हैं?" संविधान की प्रस्तावना का प्रत्येक शब्द गहन रूप से अमूर्तता लिए हुए है, अतः समानता, स्वतंत्रता, न्याय, आदि जैसे कुछ शब्दों पर चर्चा की गई। इन बातों को संविधान में किस तरह से सुनिश्चित किया गया है, इसपर बातचीत हुई। बच्चों को यह भी

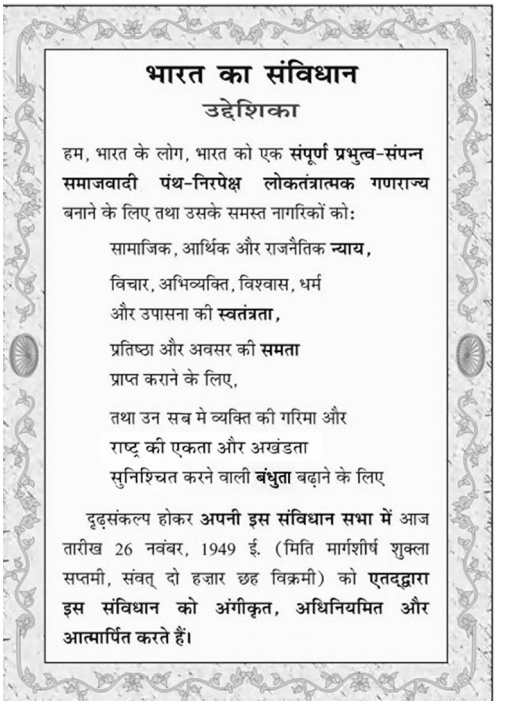

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथ-निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की **स्वतंत्रता,**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता** प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब मे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली **बंधुता** बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हज़ार छह विक्रमी) को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

बताया गया कि हमारे संविधान की प्रस्तावना, संविधान बनाने के साथ-साथ तैयार की गई थी, जबकि हम अपनी कक्षा के संविधान की प्रस्तावना या संकल्प पहले बना रहे हैं। बाद में इसके विस्तृत नियम बनाएँगे। बच्चे इस समझ पर पहुँच रहे थे कि जिस तरह के समाज की परिकल्पना हमारा संविधान करता है, उसके प्रमुख बिन्दुओं को संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। वे समझ रहे थे कि हमने अपनी कक्षा के लिए संविधान नहीं बनाया है। हम अभी इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं कि 'हम अपनी कक्षा को किस रूप में देखना चाहते हैं'। इसलिए हम जो दस्तावेज़ तैयार करेंगे, उसे 'संकल्प' कहेंगे। अतः हम दोनों समूहों में चर्चा करने के बाद सर्व-सम्मति से, दोनों समूहों की बातों को शामिल करते हुए, अपनी कक्षा के संविधान का संकल्प तैयार करेंगे।

बच्चों को दो समूहों में बाँटकर आवश्यक लेखन सामग्री (चार्ट, स्केच पेन, पटरी, आदि) उपलब्ध करा दी गई। बच्चों के सामने टास्क स्पष्ट था। सामने भारतीय संविधान की प्रस्तावना

का चार्ट टँगा था, क्योंकि इसका सन्दर्भ लेने की ज़रूरत पढ़ सकती थी। दोनों समूहों के प्रस्तुतिकरण का ब्योरा इस प्रकार है :

पहला समूह

- हमारी कक्षा विद्यालय की सबसे अच्छी कक्षा हो।
- हमें पढ़ने में मज़ा आए।
- जिसको जो विषय अच्छा लगे, उसे पढ़ने का मौक़ा मिले।
- कोई नियम का पालन नहीं कर रहा है तो उसको नियम पालन के लिए मजबूर किया जा सके।
- कक्षा में अध्यापक किसी बच्चे का मज़ाक़ न उड़ाएँ।
- नियम सबके लिए बराबर लागू हों।

दूसरा समूह

- कक्षा के हरेक बच्चे को अपनी बात कहने की आज़ादी हो।
- सभी बच्चों को सीखने के बराबर मौक़े मिलें।
- कक्षा में हम एक दूसरे की मदद करें।
- हमारी कक्षा विद्यालय की सबसे शान्त कक्षा हो।
- हमको कक्षा में किसी प्रकार का भय न हो।
- कक्षा के नियमों का पालन शिक्षक भी करें।
- कक्षा के संविधान की जानकारी सभी को ज़रूर हो।

कक्षा के संविधान के लिए संकल्प की लगभग सभी बातें आ ही चुकी थीं। सुगमकर्ता के रूप में मुझे बच्चों के साथ इसे कक्षा के संविधान की प्रस्तावना / संकल्प के रूप में व्यवस्थित करना था। दोनों समूहों के विचार समाहित करते हुए हमने कक्षा के संविधान के संकल्प को अन्तिम रूप में निम्नवत तैयार किया :

भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकार-

1. समानता का अधिकार
कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुँच का अधिकार होगा। रोज़गार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिनके बारे में इसी किताब में हम आगे पढ़ेंगे। छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया है।

2. स्वतंत्रता का अधिकार
इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा/संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने-जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है।

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार
संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मज़दूरी पर रखना अपराध है।

4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार-प्रसार करने का अधिकार है।

5. सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार
संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई, सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने-अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं।

6. संवैधानिक उपचार का अधिकार
यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है।

"हम, कक्षा 8 के समस्त विद्यार्थी, कक्षा में सीखने को आनन्ददायक बनाने के लिए, जहाँ कक्षा के सभी बच्चों को सीखने के बराबर अवसर मिल सकें, सभी को अपनी बात रखने की पूरी आज़ादी हो, किसी भी बच्चे का मज़ाक़ न उड़ाया जाए, सभी बच्चे साथ-साथ सीखते हुए आगे बढ़ें, हमारी कक्षा विद्यालय की सबसे अच्छी कक्षा के रूप में पहचानी जाए, इस उद्देश्य से, कक्षा 8 का संविधान बनाने का संकल्प लेते हैं और इसे कक्षा के सभी बच्चों पर लागू करने का निर्णय करते हैं।"

यह उल्लेख करना ज़रूरी है कि इस संकल्प को अन्तिम रूप देने से पहले इसके एकाधिक ड्राफ्ट बने, ख़ारिज हुए, और सामने टँगा चार्ट सन्दर्भ बिन्दु बना रहा।

बच्चों द्वारा अपनी कक्षा के संविधान के संकल्प से कुछ महत्त्वपूर्ण बातें स्पष्ट हो रही हैं। मसलन,

संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता की एक ज़बरदस्त भावना थी। भावी संविधान के एक-एक प्रावधान पर जमकर चर्चा हुई और सभी लोग सहमति विकसित करने के बारे में गंभीर थे। उपरोक्त चित्र के मध्य में सरदार वल्लभभाई पटेल दिखाई दे रहे हैं जो संविधान सभा के एक महत्त्वपूर्ण सदस्य थे।

- वे अपनी कक्षा को किस रूप में देखा जाना पसन्द करते हैं?
- कक्षा के लिए संविधान की ज़रूरत क्यों है?
- इसके ख़ास उद्देश्य क्या हैं?
- किस प्रकार की कक्षा की परिकल्पना की गई है?
- कक्षा की प्रक्रिया एवं कक्षा में व्यवहार के क्या मानक होंगे?
- अध्यापक एवं बच्चों का आपसी रिश्ता और व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए?
- बच्चों का आपसी व्यवहार कैसा हो?

कक्षा में बच्चों की गरिमा एवं सम्मान की चिन्ता इसमें झलकती है और साथ-साथ आगे बढ़ने की मंशा भी नज़र आती है।

इस संकल्प को पढ़ते हुए आगे के लिए यह तय किया गया कि अब हमें अपनी कक्षा के संविधान के संकल्प के अनुसार नियम बनाने होंगे। उदाहरणार्थ,

- कक्षा में सीखने के आनन्द के लिए क्या ज़रूरी है? यह कैसे तय होगा कि सीखना आनन्ददायक हो रहा है या नहीं?
- सभी बच्चों को सीखने के बराबर अवसर मिल सकें, इसका क्या मतलब है? ऐसा हो सके, इसके लिए क्या करना ज़रूरी होगा?
- अपनी बात रखने की आज़ादी का क्या मतलब है? यह कैसे सुनिश्चित किया जाएगा?
- बच्चे का मज़ाक़ न उड़ाने का क्या अर्थ है? कौन-कौन सी ऐसी बातें हैं, जो इसमें शामिल होंगी?

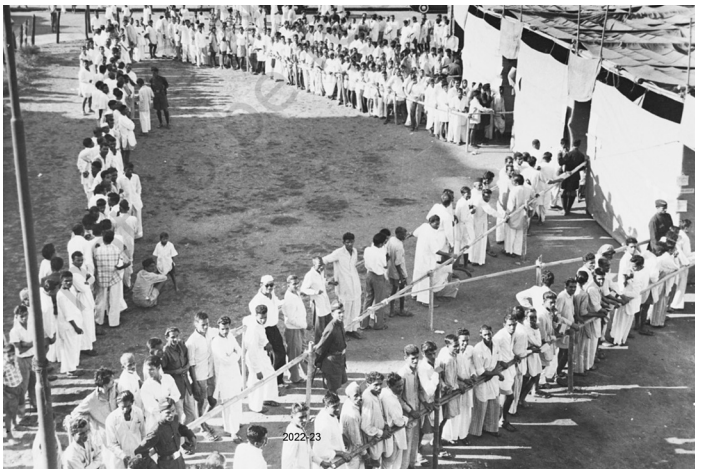

- सभी बच्चों का साथ-साथ सीखना और आगे बढ़ना किस तरह से होगा? इसके लिए क्या-क्या किया जाना ज़रूरी होगा?

एक बच्ची अचानक बोली, "अब हमें कक्षा के लिए क़ानून बनाने होंगे!" बच्ची की बात से लग रहा था कि संविधान एवं क़ानून के बीच अन्तर करना ज़रूरी है। अतः इस बारे में बात करना ज़रूरी था। एक उदाहरण से मैंने इसे स्पष्ट करने की कोशिश की। मैंने कहा, "हमारा संविधान देश के नागरिकों में किसी भी आधार पर भेदभाव करने की मनाही करता है। इसका विवरण संविधान के नियम (अनुच्छेद) 14 से 18 तक में दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करते हुए जाति के आधार पर कोई भेदभाव, छुआछूत का व्यवहार, आदि करता है तो उसे दण्डित करने के लिए अलग से एक क़ानून बनाया गया है। यह क़ानून संविधान की मंशा / उद्देश्य को लागू करने के लिए ही बनाया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि संविधान की भावना लागू करने के लिए हमें क़ानून बनाने की ज़रूरत होती है।..." मेरी बात पूरी हो, इससे पहले एक बच्ची बोली, "उफ़, हमें अभी बहुत काम करने हैं ! संविधान के नियम बनाने हैं, इनको लागू करने के लिए कुछ और नियम-क़ानून बनाने हैं। अभी तो हमने शुरू का ही कुछ काम पूरा किया है।" यह सुनकर पूरी कक्षा ज़ोर से हँस पड़ी। मैं, इस हँसी में अपनी वजह से शामिल था कि बच्चों ने संविधान की अवधारणा को कुछ हद तक समझने का रास्ता तय कर लिया है। अब यह उनके लिए एकदम अमूर्त नहीं रहा।

इन चार दिनों की कक्षा के अनुभवों के आलोक में कहा जा सकता है कि संविधान की ज़रूरत क्यों है, दरअसल संविधान है क्या, इसकी मोटा-माटी समझ बच्चों में बनी। संविधान की अवधारणा की अमूर्तता को समझने के लिए बच्चों के साथ काम करने का यह अनुभव मेरे लिए बहुत यादगार है। यह मेरे इस विश्वास को पुख़्ता करता है कि यदि बच्चों की क्षमताओं पर विश्वास किया जाए और धैर्य से काम लिया जाए, तो कोई-न-कोई राह निकल ही आती है। किस राह पर आगे बढ़ना होगा, अव्वल तो कई बार इसके संकेत बच्चे ही दे देते हैं।

डॉ. केवल आनन्द कांडपाल ने तक़रीबन 15 वर्ष वरिष्ठ माध्यमिक में अध्यापन और एक दशक तक ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में शिक्षक-प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया है। आपने पाँच साल राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रधान अध्यापक के रूप में अपनी सेवाएँ दी हैं। वर्तमान में राजकीय इंटरमीडियट कॉलेज में प्रधानाचार्य की भूमिका में कार्यरत हैं। पत्र-पत्रिकाओं में शिक्षा पर लेख लिखते रहते हैं।

सम्पर्क : kandpalkn@rediffmail.com